समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला गोपनीय शाखा)

फोन नं0 06114–223001,223004
फैक्स संख्या – 06114223142
ई–मेल : dm-jehanabad.bih@nic.in

ज्ञापांक 1866 /गो0
दिनांक 15 वीं अक्तूबर, 2014

संयुक्त आदेश राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा–2014 एवं राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा – 2014

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2937, दिनांक 07.10.2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रारंभिक) परीक्षा–2015 एवं राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा –2015 के लिए **लिखित परीक्षा का आयोजन 02.11.2014 (रविवार) को किया गया है।** इसके लिए जहानाबाद जिला में तीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। **परीक्षा 10.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होकर 01.00 बजे अपराह्न तथा विकलांग के लिए 02.00 बजे समाप्त होगी।**

परीक्षा हेतु संबंधित प्रश्न–पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर–पत्रक, गोपनीय मुद्रक द्वारा केन्द्रवार दिनांक 31.10.2014 से 01.11.2014 तक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना के प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिला में भेजे जायेंगे। इसे कोषागार में सुरक्षित रखवाने हेतु श्री सुशील कुमार, कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को प्रतिनियुक्त किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि परीक्षा तिथि के दिन कोषागार कार्यालय में पूर्वाह्न 07.30 बजे उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधी सभी कागजातों को कोषागार में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा के दिन प्रश्न–पुस्तिका एवं ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका अपने–अपने केन्द्र के लिए केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत एवं गश्ती दण्डाधिकारी की उपस्थिति में कोषागार कार्यालय से संयुक्त रूप से एक साथ प्राप्त करेंगे। गश्ती दण्डाधिकारी वाहन से प्रश्न–पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उतर पत्रक को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचायेंगे। इस कार्य हेतु गश्ति दण्डाधिकारी के रूप में श्री सुमन शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जहानाबाद को प्रतिनियुक्त करते हुए निदेश दिया जाता है कि परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटा पूर्व कोषागार से प्रश्न–पत्र एवं अन्य कागजातों को प्राप्त कर सभी परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचायेंगे तथा परीक्षा समाप्ति के बाद पुनः सभी कागजातों को कोषागार कार्यालय में जमा करायेंगे।

परीक्षा के दिन प्रश्न–पुस्तिका एवं ओ.एम.आर उतर पत्रक का सीलबंद पैकेट केन्द्राधीक्षक एवं एक वीक्षक की उपस्थिति में परीक्षा आरम्भ होने के 10 मिनट पूर्व खोला जाएगा। तदोपरांत परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाए, इसे केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए केन्द्राधीक्षक जिम्मेवार माने जायेंगे।

परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश–पत्र को देखकर अंदर जाने दें। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें।

संबंधित केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उतर पत्रक वितरण के तुरंत बाद सभी बचे हुए प्रश्न–पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उतर पत्रक को एकत्रित कर उसकी वास्तविक संख्या दर्ज करते हुए उसे सील बंद कर दें, जिससे बचे हुए प्रश्न–पुस्तिका का दुरूप्रयोग कदापि न हो।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के केन्द्राधीक्षकों को एक बैठक बुलाकर परीक्षा संचालन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश देकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। केन्द्राधीक्षकों को यह भी निदेश दें कि उनके केन्द्र पर उड़नदस्ता एवं निरीक्षी पदाधिकारी के जाने पर मुख्य द्वार को तुरंत खुलवा दें जिससे कि केन्द्र का तुरंत निरीक्षण किया जा सके। साथ ही परीक्षार्थियों के बैठने संबंधी सीट प्लान की एक प्रति भवन के मुख्य द्वार पर, एक ब्लैक बोर्ड पर तथा एक प्रति सूचना पट्ट पर भी लगा दें।

सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित वैध कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जायें। मोबाईल फोन का परीक्षा के दौरान प्रयोग पूर्णतः बंद रहेगा।

सभी केन्द्राधीक्षक, परीक्षा केन्द्र परिसर की सफाई परीक्षा शुरू होने के पूर्व सुनिश्चित करायेंगे, जिससे कि किसी तरह का चिट/पुर्जा आदि परिसर में न रहे। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्षों के श्यामपट्ट पर परीक्षा विषयों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद यह सुनिश्चित करायेंगे कि परीक्षार्थियों को ओ.एम. आर. उतर पत्रक कार्बन प्रति में उपलब्ध कराया जाय। केन्द्रधाक्षीक ये सुनिश्चित करायेंगे कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थियों से मूल ओ.एम.आर. उतर पत्रक वीक्षक वापस ले लेंगे एवं कार्बन प्रति परीक्षार्थी को दे देंगे। किसी भी परिस्थिति में मूल प्रति परीक्षार्थियों के पास नहीं जाय।

परीक्षा की समाप्ति के उपरांत ओ.एम.आर उतर पत्रक की मूल प्रति प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष सील कर दिया जाय। ओ.एम.आर. उतर पत्रक को पैकिंग कर सील करने में यह ध्यान रखा जाय कि उसका किनारा किसी भी स्थिति में न मुड़े। अतः इसके पैकेट के उपर एवं नीचे गता रख कर पैक कर सील किया जाय।

परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए निम्न प्रकार से दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

क्र.	परीक्षा केन्द्र	स्टैटिक मजिस्ट्रेट	गश्ति मजिस्ट्रेट	उड़नदस्ता दल
1	राज्य सम्पोषित बालिका इंटर विद्यालय, जहानाबाद	श्री शिवशंकर मिस्त्री, कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, जहानाबाद 7250177077	श्री सुमन शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जहानाबाद 8271708770	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम, जहानाबाद 9576021862
		पु0अ0नि0 रामा उराँव, नगर थाना, जहानाबाद 9771974888		
2	गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय, जहानाबाद	श्री योगेश कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, जहानाबाद 9801100663		
		पु.अ.नि. सुरेश प्रसाद सिंह, नगर थाना, जहानाबाद 9939229426	पु.अ.नि. कौशल किशोर चौधरी, नगर थाना, जहानाबाद 9608010619	पु.अ.नि. बनारसी चौधरी, नगर थाना, जहानाबाद 9472965676
3	मुरलीधर उच्च विद्यालय, जहानाबाद	मो0 असगर आलम, कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, जहानाबाद 9472379786		
		पु.स.अ.नि. भर्वश चौधरी, नगर थाना, जहानाबाद 8002517372		

परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्त ससमय करना सुनिश्चित करेंगे तथा यह सुनिश्चित

2

किया जाय कि परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटा पूर्व निश्चित रूप से पुलिस बल परीक्ष केन्द्र पर उपस्थित रहें।

परीक्षा अवधि में विधि–व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद रहेंगे। निदेश दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उड़नदस्ता दल को निदेश दिया जाता है कि सभी परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करायेंगे परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालित हो।

15/10/14

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

15/10/14

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1866 /गो0, जहानाबाद दिनांक 15 वीं अक्तूबर, 2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद / कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जहानाबाद/ सभी केन्द्राधीक्षक एवं अन्य सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/14

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

15/10/14

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1866 /गो0, जहानाबाद दिनांक 15 वीं अक्तूबर, 2014

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/14

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

15/10/14

जिलाधिकारी, जहानाबाद।